आवश्यक / महत्वपूर्ण

संख्या–1123 /26–2–2010–3मु0स0 / 2010

प्रेषक,

प्रेम नारायण,
प्रमुख सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 09 अप्रैल, 2010

विषयः उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 411 / 26–2–2010–3मु0स0 / 2010, दिनांक 30.03.2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीबी आर्थिक मदद योजना की विस्तृत रूपरेखा संसूचित की गयी है तथा योजना के कियान्वयन के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेश के संलग्नक–1 के परिशिष्ट–1 (सर्वे का प्रारूप) में परिवार के सदस्यों की आयकर देयता के संबंध में बिन्दु छूट गया है। अतः कमांक 12 के बाद एक नया बिन्दु 12ए **"क्या परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स देता है☐ "** का एक अतिरिक्त कालम बढ़ा लिया जाय। अनुरोध है कि तदनुसार संशोधित सर्वे प्रारूप के अनुसार सर्वे फार्म छपवाकर शीघ्र सर्वे का कार्य पूर्ण कराने की दिशा में प्राथमिकता पर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रेम नारायण)
प्रमुख सचिव एवं
समाज कल्याण आयुक्त।

संख्या– 1123 (1) / 26–2–2010–3मु0स0 / 2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,उ0प्र0शासन।
3– स्टाफ आफिसर मंत्रिमण्डलीय सचिव,उ0प्र0शासन।
4– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव,उ0प्र0शासन।
5– कृषि उत्पादन आयुक्त / औद्योगिक विकास आयुक्त / समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0शासन।
6– निदेशक, समाज कल्याण / पंचायती राज / स्थानीय निकाय / राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
7– निदेशक, कोषागार,उ0प्र0।
8– समस्त कोषाधिकारी,उ0प्र0।
9– निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,उ0प्र0।
10– निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।